न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्याः 26 / 2019 तारीख रजू 26.07.2019

1. श्योनारायण पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना निवासी मुरली मनोहरपुरा
2. रामावतार पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना निवासी मुरली मनोहरपुरा।
3. हुनमान पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी मुरली मनोहरपुरा।
4. रामसहाय पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी मुरली मनोहरपुरा।
5. श्रीमति धोली पत्नी स्व0 रामदयाल जाति मीना।
6. जीतू पुत्र स्व0 रामदयाल जाति मीना।
7. नीतू स्व0 रामदयाल जाति मीना नाबालिक जरिये संरक्षिका माता श्रीमती धोली पत्नी स्व0रामदयाल मीना निवासी मुरली मनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा।
8. रामनारायण पुत्र स्व0 भागोता जाति मीना निवासी महापुरा तह0चौथ का बरवाडा।

......अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड पुत्र रामनाथ जाति बागरिया निवासी मुरली मनोहरपुरा।
2. अम्बालाल पुत्र रामनाथ जाति बागरिया निवासी मुरली मनोहरपुरा।
3. सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा
4. ग्राम पंचायत महापुरा जरिये सरपंच।

.....रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक 24.8.2021

अपीलान्ट ने यह अपील नायबब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 06.09.2001 एवं नामान्तरकरण संख्या 44 वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2573 / 2 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी का नामानतरकरण तस्दीक किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 06.09.2001 व नामान्तरकरण संख्या 44 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी। रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है मुरली मनोहरपुरा आज से अरसा करीब 30 वर्ष पूर्व तन शिवाड में आता था तथा कृषि भूमि राजस्व ग्राम शिवाड में दर्ज थी लेकिन उसके पश्चात रिकार्ड में मुरली मनोहरपुरा गांव दर्ज होकर उसके तन की भूमि भी ग्राम मुरली मनोहरपुरा में दर्ज हो गई जिसका पटवारी हल्का ग्राम शिवाडा लगता है। तथा जो ग्राम पंचायत महापुरा में आता है। अपीलान्ट 1 लगायत 4 खास भाई है जो मृतक कन्हैयालाल मीणा के पुत्रगण है एवं अपीलान्ट नम्बर 5 लगायत 7 अपीलान्ट्स के भाई मृतक रामदयाल की पत्नी व पुत्रगण है जो सभी ग्राम मुरली मनोहरपुरा के निवासीयान होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है। कन्हैयालाल की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसी प्रकार अपीलान्ट्स नम्बर 8 ग्राम मुरली मनोहरपुरा से लगते हुए ग्राम महापुरा का निवासी होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसके पिता भागोता अरसा करीब 14–15 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 व 2 खास भाई है जो मृतक रामनाथ पुत्र ज्वारा बागरया के पुत्रगण है।

यह है कि नामान्तरकरण संख्या 44 पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदारी के बजाए खातेदारी स्वीकार करने का भरा गया है व भू अभिलेख निरीक्षक की तुलना रिपोर्ट के पश्चात नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष मे गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन स्वीकार किया है। यह है कि नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने बिलकुल गलत व नाजायत भरा है तथ गिरदावर हल्का ने इस पर जमाबंदी के अनुसार सही होने की तुलना रिपोर्ट कतई गलत दर्ज की है उसी प्रकार नायब तहसीलदार ने भी बिना जॉच व रिकार्ड देखे ही यह नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है।

यह है कि नामान्तरकरण खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा ग्राम मुरली मनोहरपुरा शिवाड का खोला गया है जो कतई गलत व अवैध है। पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 21 तस्दीक दिनांक 06.04.1999 के द्वारा गैर खातेदार रामनाथ बागरया की मृत्यु पर उसके वारिसान पुत्रान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में गलत व नाजाजत रूप से से खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा का भरा जाकर तस्दीक किया गया था जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 2573/2 ग्राव शिवाड (उस समय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:14 IST
Reason: SelfAttested

मुरली मनोहरपुरा का तन ग्राम शिवाड में दर्ज थी) सरकार द्वारा दिनांक 21.10.1975 को उसी को अलोट की थी व पट्टा जारी किया था तथा दिनांक 23.10.1975 को उसी का कब्जा रेस्पोडेन्ट को संभलाया गया था एवं उसी जमीन खसरा नम्बर 3573/2 रकबा 5 बीघा का सिवायचक से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोला जाकर जमाबंदी रिकार्ड में रामनाथ बागरया गैर खातेदार का अंकन किया गया था जो लगातार चलता आ रहा है। रामनाथ की मृत्यु होने के पश्चात उक्त खसरा नम्बर का ही नामान्तकरण उसके वारिसान पुत्रान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के नाम भरा जाना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से सांज करते हुए गलत व नाजायज रूप से पटवारी हल्का ने यह विरासत का नामान्तरकरण संख्या 21 खसरा नम्बर 3573/2 रकबा 5 बीघा न भरकर खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा का भर दिया तथा उसी प्रकार से नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा बिना उचित जॉच किये एवं रिकार्ड देखे बिना ही इसे गलत व नाजायत रूप से स्वीकार कर तस्दीक कर दिया। इस प्रकार जब खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा कभी रामनाथ बागरया की गैर खातेदारी अथवा खातेदारी में नहीं रही तो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के नाम उसका उक्त खोला गया व स्वीकार किया विरासत का नामान्तरकरण संख्या 21 कानूनन कतई गलत व अवैध था तथा इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को गैर खातेदारी से खातेदारी देने का खोला गया व तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 44 भी उसी प्रकार से कतई गलत व अवैध है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को गलत व अवैध नामान्तरकरण के जरिये खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा पर गैर खातेदारी से खातेदारी का हक कतई गलत व अवैध दिया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 कजोड व अम्बालाल तथा उससे पूर्व उनके पिजा मृतक रामनाथ बागरया को किसी भी सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 3573/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 2573/2 का गैर खातेदार अथवा खातेदार घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी भी आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 3573/2 के स्थान पर 2573/2 की खातेदारी की घोषणा नहीं की गई तो ऐसी सूरत में तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को इस प्रकार से उक्त भूमि खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा की खातेदारी हक देने का व उसका खातेदारी का यह नामान्तरकरण स्वीकार करने का कानूनं कोई हक व अधिकार नहीं था। तथा इस संबंध में उनके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश कतई अवैध वं गलत है व क्षेत्राधिकार से परे होकर बिल्कुल नल एण्ड वोइड व प्रभावहीन आदेश है तथा उसकी कानूनं कोई वक्त व अहमियत नहीं है। यह है कि उक्त खसरा नम्बर 2773/2 रकबा 5 बीघा से कभी मृतक रामनाथ बागरया व उसके पुत्रान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 का वास्तविक तौर पर व कानूनी तौर पर कभी भी कोई संबंध एवं वास्ता नहीं रहा न ही मौके पर कभी कब्जा काश्त रहा है बल्कि उक्त भूमि शुरू से ही अनिवासिक राजकीय भूमि थी जिस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:14 IST
Reason: SelfAttested

पर अपीलान्ट्स संख्या 1 लगायत 7 के अपने पिता मृतक कन्हैया लाल के समय से ही अधिकांश भाग पर करीब 65–70 वर्षो से रिहायशी कच्चे व पक्के मकान तथा बाडे बने हुए है जिसमें अपीलान्ट्स मय परिवार निवास करते आये है तथा शेष भाग पर अपीलान्ट्स संख्या 8 का अपने पिता मृतक भागोता के समय से ही मौके पर कब्जा काश्त चला रहा रहा है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2001 व नामान्तरकरण संख्या 44 वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दी गयी दलीलो को खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता मृतक रामनाथ पुत्र ज्वारा जाति बागरया निवासी मुरली मनोहरपुरा को आवंटन सहालकार समिति द्वारा उक्त भूमि आवंटन की गयी थी तब से आज दिनाक तक हमारा बहेसियत खातेदार कब्जा काश्त है। यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योकि अपीलान्ट का उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है नहीं अपीलान्ट उक्त भूमि के खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार व्यक्ति है। अतः में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2001 नामान्तरकरण संख्या 44 वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा को यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया।

अतः उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा का ध्यान पूर्वक अध्यन एवं मनन करने के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.09.2001 व नामान्तरकरण संख्या 44 वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया किन्तु अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच करे ही उक्त नामान्तरकण तस्दीक किया गया है जो नल एण्ड वोइड है। क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता मृतक रामनाथ पुत्र ज्वारा जाति बागरया निवासी मुरली मनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.10.1975 खसरा नम्बर 3573/2 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था किन्तु अदालत मातहत द्वारा खसरा नम्बर 3573/2 की जगह खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीवा वाके ग्राम मुरलीपुरा का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जिसमें पटवारी हल्का व गिरदावर की तुलना के आधार पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पटवारी व गिरदावर की तुलना के आधार पर नामान्तरकण तस्दीक कर दिया है जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः मै

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट की बहस से सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वकीर योग्य पायी जाती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2001 व नामान्तरकरण संख्या 44 वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया है को निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3575/2 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम मुरली मनोहरपुरा जो कि रेस्पोडन्ट संख्या 1 व 2 पिता मृतक रामनाथ पुत्र ज्वारा को आवंटन किया गया है का नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। तथा आराजी खसरा नम्बर 2573/2 रकबा 5 बीघा की किस्म पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.8.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:14 IST
Reason: SelfAttested